

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
उनवान

सोनु जी पंडित मापुड बनाम पारस डि वीरु मापुड कोस
किस्म मुकदमा धारा 212 R.T.A मु0.न0 1/20 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
<p>4/3/2020 प्र०स० 1/20 2020/0000D1</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराके तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 4/3/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई आवेद्यता प्रार्थी उपर्युक्त विपक्षी वाक्यूड शून्यता के उपर्युक्त गरी होने के विपक्षी के विरुद्ध एक अज्ञात कार्यवाही का निर्देश किया गया। आवेद्यता के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आवेद्यता मिला 5 रुकवा 1.94 ईकरत शक्ति प्रार्थीगण के दादा के नाम की होकर पेश करने के लिए अज्ञात स्वतंत्रता पत्रों को दे-कर ही उनके एक ही वारीस प्रार्थीगण के पिता विपक्षी पारस ही तथा विपक्षी अज्ञात दिने प्रार्थीगण से अज्ञात अज्ञात करते रहते हैं तथा शक्ति के स्वर्ण-स्वर्ण करने पर आवेद्यता ही अज्ञात विपक्षी के नाम शक्ति दर्ज होने पर विपक्षी अज्ञात शक्ति को-वकी ले प्रार्थीगणों के-गरी अज्ञात होजायगा तथा आवेद्यता अज्ञात होती जिसकी मरपाई अज्ञात है।</p>	

प्र.सं. 1/20 (2020/00001)

प्राचीन का प्रथम प्रत्यक्ष प्रकार है, सुविधा का सम्बन्ध प्राचीन के पत्र में प्राचीन प्राचीन भी मारुन्धी प्रतीति है उक्त विपक्षी के विरुद्ध कसबायी निषेधाज्ञा जारी है परन्तु

मेरे कसबायी भी कसबायी सुनी जमी रेफरेंस का कसबायी प्रतीति के पत्र कि प्राचीनपत्र के नगिर काराजीप्रार प्राचीन भी मारुन्धी/पेजिक प्रतीति प्राचीन पत्र प्रत्यक्ष साबित है तथा उक्त विपक्षी के द्वारा प्रतीति रूढ़ि रूढ़ि करती गे प्राचीन को अपूर्णता प्रतीति है, समती व प्रतीति प्रतीति प्रतीति है, सुविधा का सम्बन्ध भी प्राचीन के पत्र में प्रतीति प्रतीति के प्राचीन पत्र स्वीकार प्रतीति जात अपित है

आदेश

उक्त प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि जाम कागोप्रिया में प्रतीति काराजी नम्बर 1102 रकबा 0.90 है आ.न 1103 रकबा 0.79 है आ.न 1104 रकबा 0.09 है आ.न 1105 रकबा 0.09 है आ.न 1106 रकबा 0.07 है प्रतीति 5 रकबा 1.94 है उक्त के तात्पर्य विपक्षी के विरुद्ध इस आदेश भी काराजी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी उक्त काराजीप्रार को किसी कसबायी को रक्षा, बच, वशील या कसबायी प्रतीति

तारीख हुकम	प्रकरण संख्या 1/2020 (2020/0001) हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सोनु गो पारस गायक 4/5 पारस पित्त पीसु गायक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> से हस्ताक्षरित नहीं करें तथा प्राचीनता को उक्त काराजीयात से जकारन कोदकल नहीं करें न कल्ल से करारव तथा प्राचीनता को उपयोज उपयोज के किसी तरह की दरकलंजी नहीं करें। पत्रावली प्रेसल शमाट होकर गन्कार से भरे। </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="370 779 690 1102"> </div> <div data-bbox="787 779 1193 1014"> <p> <u>Plus</u> 4.3.2020 (सुन्दरलाल काकोडर) RAS </p> </div> </div> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मयपुर (भीलवाजा) </p>	

